न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2019 (बांसवाड़ा डिक्री)

रामजी पिता गवजी, जाति भील, निवासी रोहनवाड़ी, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रिशम पुत्री सोमा, जाति भील, निवासी रोहनवाड़ी, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा हाल निवासी पति गौतम मच्छार, निवासी जुनी गांगडतलाई, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा।

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा दिनांक
20.12.2017 प्रकरण संख्या 14/14

———/———

उपस्थित(वक्त बहस) 1. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाशक अपीलान्ट
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———:::———

निर्णय दिनांक 11–07–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी नंबर 185, 186, 187, 187/2244, 385, 390, 391, 392, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 1111, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1563, 1564, 1572, 1573, 1574 कुल खेत 26 रकबा 4.67 हैक्टर भूमि वाके ग्राम रोहनवाडी में स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पुरानी जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 खाता संख्या 63 के खसरा नंबर 26, 27, 28, 143, 144, 148, 273, 304, 305, 331, 577, 578 कुल खेत 12 रकबा 29 बीघा 6 [illegible] दिया एवं प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:33 IST
Reason: SelfAttested

के दादा वरसेंग पिता दीता के नाम दर्ज थी। वरसेंग के दो पुत्र गवजी व सोमा हुए। वादिया सोमा की पुत्री है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 गवजी का पुत्र है। वरसेंग की मृत्यु पर नामान्तरकरण संख्या 43 दिनांक 03–06–1973 प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गवजी के नाम दर्ज कर दिया, जबकि वादिया के पिता सोमा का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। अतः वादिया को विवादित कृषि आराजी नंबर 185, 186, 187, 187/2244, 385, 390, 391, 392, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 1111, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1563, 1564, 1572, 1573, 1574 कुल खेत 26 रकबा 4.67 हैक्टर भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वरसेंग की पैत्रृक सम्पत्ति में वादिया के नाम को जोड़ा जाना उचित बताया।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया की साक्ष्य लेकर अपने निर्णय दिनांक 20–12–2017 से वादिया का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–12–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है एवं उसके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जिसकी जानकारी उसे दिनांक 18–12–2018 को होते ही नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:33 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि प्रकरण प्रतिवादी/अपीलान्ट के जवाबदावा हेतु नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उसे बिना सुने निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है। सोमा जी लाऔलाद फोत हुए उनके कोई संतान नहीं थी। विवादित भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का अपने पिता के समय से चला आ रहा है, रेस्पोन्डेन्ट का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सोमा की पुत्री नहीं है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उसे सोमा की पुत्री मानकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 में साबिक आराजी नंबर 26, 27, 28, 143, 144, 148, 273, 304, 305, 331, 577, 578 कुल खेत 12 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा वरसेंग पिता दीता के नाम दर्ज है एवं जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 में उक्त भूमि वरसेंग के पुत्र गवजी के नाम दर्ज है। गवजी की मृत्यु पर नामान्तरकरण से भूमि उसके पुत्र अपीलान्ट रामजी के नाम दर्ज हुई है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं तहसीलदार ने जवाबदावा प्रस्तुत कर मूल पुरूष वरसेंग के दो पुत्र गवजी व सोमा होना बताया तथा ग्राम पंचायत रोहनवाडी द्वारा भी जो वरसेंग का सजरा प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार भी वरसेंग के दो पुत्र गवजी व सोमा हुए। गवजी का पुत्र अपीलान्ट रामजी व सोमा की पुत्री रेस्पोन्डेन्ट रिशम हुई। इस प्रकार स्पष्ट है वरसेंग की मृत्यु पर विरासत से जो भूमि अकेले गवजी के नाम दर्ज हुई है, उसमें रेस्पोन्डेन्ट रिशम के पिता सोमा का भी 1/2 हिस्सा था। वादिया ने साक्ष्यों से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वाद को पूर्णतया साबित कराया है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय से वादिया को वाद डिक्री [illegible] है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–12–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:33 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास .... अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰ ....

रामजी पिता गवजी, जाति भील, निवासी रोहनवाडी, तहसील गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा

बनाम

श्रीमती रिशम पुत्री सोमा जाति भील, निवासी गागडतलाई हाल अपने पति गौतम मच्छार, नि. जुनी गागडतलाई तहसील गागडतलाई व अन्य

अपील नं॰.......1 / 2019.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी..... ....बागीदौरा........ मुकाम................मुवर्खे.............20................माह...............12............2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........11....माह........07.......सन् 2022 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी...........श्री जयेन्द्र पुरोहित..........मिनजानिब अपीलान्ट व............ पैरोकार सरकार

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20—12—2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........11......माह.......07...........2022 को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:33 IST
Reason: SelfAttested